श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

पत्रांक: F.-1(9)/LBSNSU/ S. F./Admin-1/2024-25/1051 दिनांक 30.10.2024
06.11

अधिसूचना

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली शैक्षणिक सत्र- 2024-25 में ज्योतिष विभाग के अन्तर्गत ज्योतिष प्रवेशिक, ज्योतिष प्राज्ञ, द्विदिवर्षीय ज्योतिष भूषण एडवांस डिप्लोमा एवं भैषज्य-ज्योतिष डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत (शनिवार एवं रविवार) में संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए अंशकालिक अध्यापकों (पूर्ण रूप से Contract Basis) की नियुक्ति हेतु Walk-in-Interview दिनांक 27.11.2024 पूर्वाह्न 11:00 बजे शैक्षणिक सदन के समिति कक्ष सं. 03 में सम्पन्न किये जायेगें, जिसकी अनिवार्य योग्यता निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	विभाग	अंशकालिक अध्यापक संख्या
01.	ज्योतिष विभाग	**04**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अन्तर्गत अंशकालिक/अतिथि अध्यापकों के लिए वांछनीय योग्यता निम्न प्रकार है:-

01. किसी भारतीय विश्वविद्यालय से *"**संबंधित/संगत/संबद्ध**" विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ निष्णात (स्नातकोत्तर) उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाईंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि ।

02. उक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने विश्वद्यिालय अनुदान आयेाग अथवा CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा SLET/SET उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग M.Phil/Ph.D उपाधि के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किये गये संशोधनों,जैसा भी मामला हो, के अनुसार की हो अथवा Ph.D की उपाधि प्रदान की गयी हो, उन्हें NET/SLET/SET से छूट प्रदान की जायेगी :-

बशर्ते:- दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे । ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने अध्यधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए NET/SLET/SET की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी:-

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो,

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो,

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो,

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो,

(ङ) अभ्यर्थी ने UGC/ICSSR/CSIR अथवा ऐसी की किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यो के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो । इन शर्तो को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए ।

कृ.पृ.उ.

पूर्व पृष्ठ से जारी:-

01. अंशकालीन अध्यापकों के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाईट **www.slbsrsv.ac.in** से **Downnload** किया जा सकता है ।

02. योग्य अभियर्थियों को अंशकालीन अध्यापक पद के लिए Walk-in-Interview हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र को भरकर सभी मूल प्रमाण एवं उनकी छायाप्रति के साथ लाना अनिवार्य हैं ।

03. पाठ्यक्रमों को स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत संचालित करने के लिए मद में उपलब्ध राशि में से **अध्यापकों को देय मानदेय, स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के मद से ही किया जाएगा** तथा कक्षाओं के संचालन हेतु आंतरिक अध्यापकों को 700/-रु. प्रति कक्षा अन्तर तथा बाह्य अध्यापकों को 700/-रु. प्रति कक्षा अन्तर तथा 300/-रु. प्रतिदिन यातायात भत्ता का भुगतान किया जायेगा । संबंधित पाठ्यक्रम से प्राप्त आय का 70 प्रतिशत संबंधित पाठ्यक्रम के संचालन हेतु व्यय किया जाएगा एवं 30 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय द्वारा विकास एवं रख-रखाव के लिए संचित की जायेगी ।

04. विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षणिक सत्र 2024-25 की समाप्ति से पहले किसी भी समय इस नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

05. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने आवेदन में फर्जी/गलत दस्तावेज/प्रमाण-पत्र/दावा या विवरण प्रस्तुत किया है, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्यवाही शुरू की जा सकती है/नियुक्ति समाप्त की जा सकती है ।

06. अंशकालीन अध्यापकों को विभागाध्यक्ष/पीठाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सौंपे गए शिक्षण और अन्य कर्तव्यों का पालन करना होगा, जिसकी समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगा ।

07. अंशकालीन अध्यापकों की नियुक्ति शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए है, जिसे नियंत्रण अधिकारी की एपीआई रिपोर्ट तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

08. अंशकालिन अध्यापक को किसी प्रकार का भत्ता, पेंशन, ग्रेज्युटी, अवकाश इत्यादि देय नहीं होगा ।

09. इस अधिसूचना में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे नियमानुसार संशोधित किया जाऐगा ।

कुलसचिव (प्रभारी)

प्रतिलिपि:-

01. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि संबंधित अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें ।
02. विश्वविद्यालय के सभी सूचना पट्ट
03. समस्त पीठाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष
04. विशेषकार्याधिकारी कुलपति कार्यालय
05. कुलसचिव के निजी सचिव
06. संबंधित पत्रावली

06.11.24

कुलसचिव (प्रभारी)